10/04/17 | वकुलाय श्रवण। अप्रार्थी सं० 8 को स्वयं को एवं उनके अभिभावक को कई बार आवाज लगाई गई। बावजूद इसके अप्रार्थी सं० 8 की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अप्रार्थी सं० 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाती है। पुनश्चः पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि अप्रार्थी सं० 8 के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं० 8 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही मंसूखी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो अप्रार्थी सं० 8 व उनके अभिभावक की गैर हाजरी में खारिज किया जाता है।

वकील अप्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी (अप्रार्थी) की विवादित भूमि पर कई वर्षों पूर्व से मकान बने हुए हैं जिनकी पश्चिमी दीवार में 30-40 वर्षों पुराने जंगले की हुए हैं। उक्त जंगलों बाबत अप्रार्थी (प्रार्थी) को ऐतराज है तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी उक्त जंगलों को बंद करके निर्माण कार्य व मरम्मत किये जाने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर स्थगनादेश को और आगे नहीं बढ़ाया जावे।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रतिपक्ष ने तर्क दिया कि यदि अप्रार्थी उक्त वर्णित जंगले बंद करने पर सहमत है तो प्रस्तुत प्रा० पत्र में अप्रार्थी (प्रार्थी) को अन्य निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वकुलाय उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के मद्देनजर स्पष्ट है कि अप्रार्थी के मकानों की पश्चिमी दीवार में बने जंगले बंद कर दिये जाने पर अन्य मरम्मत या

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। अतः अप्रार्थी के मकानों मे बने प्रार्थी के हिस्से की भूमियों की तरफ के जंगले बंद करने एवं प्रार्थी के हिस्से की भूमियों की तरफ जंगले नहीं लगाने की शर्त पर स्थगनादेश दिनाँकित 27-06-2016 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील हस्ताक्षरित मूल वादपत्र हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	